



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या -
डी-1/ई-1/2025
दिनांक 24.03.2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 24.03.2025

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि : 24.04.2025

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि : 01.05.2025

अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि

और समय : 08.05.2025 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त कर लें।

(c) ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

नोट- (1) अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन-लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किये जाने की अंतिम तिथि के सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों-हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे।

आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पंजी को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऑन-लाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग लिफाफे में अपने आवेदन-पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें।

(3) यदि अभ्यर्थी द्वारा autofilled पता पंजी (Address Slip) लिफाफे पर चस्पा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना
यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार ही आवेदन करें:-

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS or ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन-लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :-

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके (रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई-मेल पर) अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो :- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर.

नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES- उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण:- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डेमिसेइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर, किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस व आगामी समस्त चयनों/परीक्षाओं से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(4) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(5) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अथवा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(8) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(9) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(10) "अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा

वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।"

2- आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग- आवेदन शुल्क रु80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /- योग = रु0 105 /-

(ii) अनुसूचित जाति/ - आवेदन शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसूचित जन जाति शुल्क रु0 25 /- योग = रु0 65 /-

(iii) दिव्यांग श्रेणी - आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /- योग = रु0 25 /-

(iv) भूतपूर्व सैनिक - आवेदन शुल्क रु0 40 /- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 /- योग = रु0 65 /-

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित/महिला/ कुशल खिलाड़ी

उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

विभाग संख्या- सेवा- 10/01, पद का नाम- सहायक वास्तुविद, रिकितियों की संख्या- 02, श्रेणीवार रिकितियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण- 02- अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण- कोई नहीं, पद का स्वरूप- समूह- 'ख' राजपत्रित, वेतनमान- लेवल-10, ग्रेड वेतन- 5400 /-, आयु सीमा- 21 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)।

शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हता:- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर नियोजन में विशेष प्रश्न पत्र के साथ वास्तुविद में उपाधि या उसके समकक्ष अर्हतायें। समकक्ष अर्हता- वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 14 की अनुसूची में विहित है।

(ब) अधिमानी अर्हता:- 1. उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा जिन्हें वास्तुविद और नगर नियोजन के क्षेत्र में वृत्रिक अनुभव हो।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

नोट- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की केवल एच0एच0 तथा ओ0एल0 उपश्रेणियाँ ही चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावली

• उ0प्र0 नगर और ग्राम नियोजन सेवानियमावली, 1987

मत्स्य विभाग

विभाग संख्या- सेवा- 2/01, पद का नाम- सहायक निदेशक मत्स्य, रिकितियों की संख्या- 07, श्रेणीवार रिकितियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण:- 02-अनारक्षित, 02-अनुसूचित जाति, 03-अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षैतिज आरक्षण:- 01- महिला, पद का स्वरूप- समूह- 'ख' राजपत्रित, वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-10 (56100- 177500), ग्रेड पे- 5400 /-, आयु सीमा- 21 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है।),

शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हता: सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए:-

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, या (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, या (तीन) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में 04 वर्ष की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

समकक्ष अर्हता:- उत्तर प्रदेश शासन मत्स्य उत्पादन अनुभाग के शासनादेश संख्या- 682/सत्रह-म/ 2024-17-1001(009)/1/ 2023, दिनांक 17.05.2024 द्वारा निम्न समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी है- भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फिशरीज इंजीनियरिंग में चार वर्षीय बी0टेक0 की उपाधि।

(ब) अधिमानी अर्हता:- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा।

नोट:- प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल0वी0, एच0एच0, ओ0ए0, ओ0एल0 एल0सी0, डीडब्ल्यू0 तथा ए0ए0वी0 उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

• उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1993 (यथा संशोधित)

उ0प्र0 वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय

विभाग संख्या- सेवा- 5/01, पद का नाम- शोध अधिकारी, रिकितियों की संख्या- 01, श्रेणीवार रिकितियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण- 01-अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण- कोई नहीं, पद का स्वरूप- समूह- 'ख', राजपत्रित, वेतनमान- लेवल-10, (रु0 56100-177500), आयु सीमा- 21 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।), शैक्षिक अर्हताएँ:- (अ) अनिवार्य अर्हता:- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ

स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (दो) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान। समकक्ष अर्हता — उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या—02/2024/1733973/47—का—2—2024, दिनांक 24.06.2024 के अनुसार। (ब) अधिमाानी अर्हता — ऐसे अभ्यर्थी जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। नोट —: उक्त पद हेतु दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है।			
पद की संगत सेवा नियमावली • उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012			
चिकित्सा शिक्षा विभाग विभाग संख्या — सेवा— 8/01, पद का नाम — प्रवक्ता (फार्मेसी), रिक्तियों की संख्या — 11, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:— लम्बवत् आरक्षण— 06—अनारक्षित, 02—अनुसूचित जाति, 02—अन्य पिछड़ा वर्ग, 01—आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्षैतिज आरक्षण— 02—महिला, पद का स्वरूप — समूह— ‘क’ राजपत्रित, वेतनमान — लेवल—10, आयु सीमा — 21 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।), शैक्षिक अर्हताएँ —: (अ) अनिवार्य अर्हता —: सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की अर्हता। नोट —: उक्त पद हेतु दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है।			
पद की संगत सेवा नियमावतियाँ • उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)।			
उ0प्र0 आयुष (होम्योपैथी) विभाग विभाग संख्या — सेवा— 11/01 एवं सेवा— 11/02, पद का नाम — रीडर (उपाचार्य), रिक्तियों की संख्या — 11 विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है —			
क्र० सं०	रीडर (उपाचार्य) (स्पेशियलिस्ट)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका	कुल पद—08, लम्बवत् आरक्षण— 06—अनारक्षित, 01—अनु० जाति, 01—अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षैतिज आरक्षण— 01—महिला।	सेवा— 11/01
2	होम्योपैथिक फार्मेसी	कुल पद—03, लम्बवत् आरक्षण— 02—अनारक्षित, 01—अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षैतिज आरक्षण— कोई नहीं।	सेवा— 11/02
कुल पद		11	
पद का स्वरूप — समूह— ‘क’ राजपत्रित, वेतनमान — लेवल—11, वेतनबैण्ड—रु० 67700—208700/—, आयु सीमा — 28 से 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)। शैक्षिक अर्हताएँ —: विषयों में अर्थात् होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मेसी। (अ) अनिवार्य अर्हता : होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता के साथ किसी डिग्री स्तरीय होम्योपैथिक महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय में सहायक आचार्य/प्राध्यापक के रूप में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव। उक्त अर्हता वही होगी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। (ब) अधिमाानी अर्हता —: (एक) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सुपरवाइजर/सह—सुपरवाइजर अथवा मार्गदर्शक/सह—मार्गदर्शक का अनुभव। (दो) सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसंधान संस्था में अनुसंधान का अनुभव। नोट —: 1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण—पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (होम्योपैथी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। सहायक आचार्य/प्राध्यापक का मौलिक विभाग में नियुक्ति के समय का ही अनुभव मान्य होगा। 2. प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की ओ0ए०, ओ0एल० तथा ए0ए०वी० उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।			
पद की संगत सेवा नियमावतियाँ • उ0प्र0 राज्य होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)			
उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग विभाग संख्या — सेवा— 11/03, पद का नाम — आचार्य मुनाफेउल आजा, रिक्तियों की संख्या — 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:— लम्बवत् आरक्षण— 01—अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण— कोई नहीं, पद का स्वरूप — समूह— ‘क’ राजपत्रित, वेतनमान — लेवल—12, वेतनमान (न्यूनतम)—78800, वेतनमान (अधिकतम)—209200, आयु सीमा — न्यूनतम—30 वर्ष, अधिकतम— 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)। शैक्षिक अर्हताएँ —: (अ) अनिवार्य अर्हता —: (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की पाँच वर्ष की उपाधि। (2) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर में केवल आठ वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर तीन वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (3) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमाानी अर्हता —: (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (2) शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (3) ऐसे अभ्यर्थी जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। नोट —: 1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण—पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। 2. प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की ओ0ए०, ओ0एल० तथा ए0ए०वी० उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।			
पद की संगत सेवा नियमावतियाँ • उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)।			
उ0प्र0 आयुष (यूनानी) विभाग विभाग संख्या — सेवा— 11/04 एवं सेवा— 11/05, पद का नाम — प्राध्यापक, रिक्तियों की संख्या — 02 विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है —			
क्र० सं०	प्राध्यापक (स्पेशियलिस्ट)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	इल्मुल सैदला	कुल पद—01, लम्बवत् आरक्षण— 01—अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण— कोई नहीं।	सेवा— 11/04
2	इल्मुल अदविया	कुल पद—01, लम्बवत् आरक्षण— 01—अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण— कोई नहीं।	सेवा— 11/05
कुल पद		02	
पद का स्वरूप — समूह— ‘ख’ (उत्तर प्रदेश राज्य यूनानी महाविद्यालय अध्यापक सेवायें, उ०प्र०) राजपत्रित, वेतनमान — लेवल—10, वेतनमान— रु० 56100—177500/—, आयु सीमा — 25 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)। शैक्षिक अर्हताएँ —: (अ) अनिवार्य अर्हता —: 1. विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। 3. हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमाानी अर्हता —: 1. शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। 2. ऐसे अभ्यर्थी जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। नोट —: प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की एल०वी०, ओ०ए०, ओ०एल० एवं ए०ए०वी० उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।			
पद की संगत सेवा नियमावतियाँ • उ०प्र० राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)।			
यूनानी निदेशालय, उ०प्र० विभाग संख्या — सेवा— 11/06, पद का नाम — आचार्य कुल्लियात, रिक्तियों की संख्या — 01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या:— लम्बवत् आरक्षण— 01—अनारक्षित, क्षैतिज आरक्षण— कोई नहीं, पद का स्वरूप — समूह— ‘क’, राजपत्रित, वेतनमान — लेवल—12 (वेतनमान 78800—209200), आयु सीमा — 30 से 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।), शैक्षिक अर्हताएँ —: (अ) अनिवार्य अर्हता : (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में पाँच वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ०प्र० या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की पाँच वर्ष की उपाधि। (2) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल आठ वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर तीन वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (3) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमाानी अर्हता —: (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (2) शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। (3) ऐसे अभ्यर्थी जिसने— (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। नोट —: 1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण—पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। 2. प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन की ओ०ए०, ओ०एल० तथा ए०ए०वी० उपश्रेणियाँ चिन्हांकित हैं।			
पद की संगत सेवा नियमावतियाँ • उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित)।			
नोट —: उपर्युक्त विज्ञापित पदों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति/आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।			
चयन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश 1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी। 2. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी— (a) प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 अंक (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। (b) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। (c) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा। 3. अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को ठीक से काला करके सही—सही भरे जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर हवाईटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग भी न किया जाए। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और उक्त के लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।			
महत्वपूर्ण अनुदेश 1. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है। 2. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2025 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के पदों हेतु) (यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी) तथा उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा			
में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। इसी प्रकार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या— 1648/79—5—2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ०प्र० राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या— 1508/15—08—2015—3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ०प्र० के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है।			
3. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु) — आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या—22/10/1976—कार्मिक—2—85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं—: (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गयी हो।			
4. आयोग में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् धारित अर्हताओं तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।			
5. मूल प्रमाण—पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।			
6. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।			
7. अभ्यर्थी की पात्रता व अन्य के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।			
8. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।			
9. अभ्यर्थी द्वारा ‘ON-LINE APPLICATION’ में किये गये दावों (Claims) के समर्थन में निम्नलिखित मूल—प्रमाण—पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण—पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।			
9.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण—पत्र।			
9.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।			
9.3 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 5/2022/18/1/2008/47/का—2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के साथ संलग्न प्रारूप—1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।			
9.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या—22/21/1983—का—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र अपेक्षित होगा।			
9.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या—22/16/92—टी.सी.—III/का—2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।			
9.6 उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग—2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का—2/19 टी.सी.—।। दिनांक 18 फरवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण नियमानुसार देय होगा। ई०डब्ल्यू०एस० श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण—पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।			
9.7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र शासनादेश संख्या—453/79—वि—1—15—1(क) 14—2015 दिनांक 07—04—2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।			
9.8 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट—1 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।			
नोट —: (1) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक- 18 अप्रैल 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये			

age_____years, male/ female_____.

Registration No. _____permanent resident of House No. _____Ward/Village/ Street _____Post Office _____District _____State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagno sis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-
In figures.....percent.
In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)
@ - e.g. Left/right/both arms/legs
- e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ निवासी ग्राम- _____ नगर- _____ जिला- _____ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) _____ पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) _____ के आश्रित हैं।
स्थान: _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक: _____ पूरा नाम _____
पदनाम _____
मुहर _____
जिलाधिकारी (सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4
प्रारूप -1
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवासी _____ पूरा पता _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित _____ (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) _____ में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट स्थान का नाम) _____ आयोजित राष्ट्रीय _____में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।
उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र _____ (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
विश्वविद्यालय का नाम _____राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवास (पूरा नाम) _____ विश्वविद्यालय की कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय _____ (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद _____ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश _____ राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ आत्मज/ पत्नी/ आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ में स्कूल में कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में _____ स्थान प्राप्त किया गया।
यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।
स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा _____ द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. _____Date: _____
This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____Date of birth (DD/MM/ YY) _____age_____years, male/ female_____.

Registration No. _____permanent resident of House No. _____Ward/Village/ Street _____Post Office _____District _____State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of

Page-4